संख्या: 23 / 2026/870/ सत्रह-म-2026-17-1099/151/2025

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ:दिनांक 21 मई, 2026

विषय: उत्तर प्रदेश के जनपदों में **"मोती संवर्धन"** योजना को संचालित/ क्रियान्वयन हेतु मार्ग- निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-295/नि0शा0/दिशा-निर्देश/ 2026-27 दिनांक 07 05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के जनपदों में "मोती संवर्धन" योजना को संचालित/ क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के जनपदों में "मोती संवर्धन" योजना को संचालित/ क्रियान्वयन हेतु निम्नवत दिशा- निर्देश निर्गत किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

योजना हेतु दिशा निर्देश

योजन का उद्देश्य:- प्रदेश के जनपदों में "उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना" के द्वारा जनपदों मे उपलब्ध अप्रयुक्त भूमि का उपयोग करने, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने, विदेशी मुद्रा अर्जित करने एवं रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाओं को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश को गंगा एवं यमुना नदी का वरदान प्राप्त है, जहां मीठे पानी के सीप (Mussels) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिनका मोती उत्पादन के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

योजन का औचित्य:- प्रदेश में निजी भूमि में निर्मित तालाब जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर (खेत तालाब योजनान्तर्गत निर्मित तालाब) के साथ-साथ क्षेत्रफल 0.500 एकड़ से अधिकतम 01 एकड़ हो या 01 एकड़ से अधिक हो और गहराई 6 फीट हो, में किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से नवीन योजना ''उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन'' को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

योजना हेतु प्रविधानित धनराशि:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु प्रथम चरण में कुल ₹ 300.00 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है।

उक्त योजना को 03 उपयोजना में वर्गीकृत किया गया है -

1. **खेत तालाब योजना में निर्मित तालाब (440 वर्ग मीटर) में मोती पालन:-** खेत तालाब योजनान्तर्गत निर्मित ऐसे तालाब जिनमें वर्ष भर जल स्तर 1.50 मीटर अथवा उससे अधिक

रहता हो, में 2000 सीप (Mussels) का निवेश किया जायेगा एवं इसकी कुल इकाई लागत रु0-1.50 लाख होगी।

2. **निजी कच्चे तालाब जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.500 एकड़ से अधिकतम 01 एकड़ तक हो, में मोती पालनः–** इसके अंतर्गत निजी भूमि पर निर्मित ऐसे तालाब जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.500 एकड़ से लेकर अधिकतम 01 एकड तक होगा, जिनमें वर्ष भर जल स्तर 1.50 मीटर अवश्य रहता हो। इस योजना में कुल 5000 हजार सीप (Mussels) का निवेश किया जायेगा, जिसकी कुल इकाई लागत धनराशि रु० 3.50 लाख होगी।

3 **निर्मित कच्चे तालाब जिसका क्षेत्रफल 01 एकड़ से अधिक हो में मोती पालनः–** इसके अंतर्गत निजी भूमि पर निर्मित ऐसे तालाब जिसका क्षेत्रफल 01 एकड से अधिक होगा, जिनमें वर्ष भर जल स्तर 1.50 मीटर अथवा उस से अधिक हो। इस योजना में कुल 15000 हजार सीप (Mussels) का निवेश किया जायेगा, जिसकी इकाई लागत धनराशि रु०-10.00 लाख होगी।

योजना का क्रियान्वयनः-

1. यह योजना 40 प्रतिशत राज्यांश व 60 प्रतिशत लाभार्थी अंश के फंडिंग पैटर्न पर आधारित होगी।
2. प्रथम C2 वर्ष हेतु इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रुप में कुछ चयनित मण्डलों के जनपदों में ही कलस्टर के रुप में चलाया जायेगा, तद्पश्चात एक फसल (Harvest) लेने के पश्चात अवशेष जनपदों में भी योजना के विस्तारीकरण पर विचार किया जायेगा।
3. मोती की खेती हेतु उपयुक्त सीप (Mussels) का चयन, उसमें सर्जरी कर न्यूक्लिअस की स्थापना आदि का कार्य काफी संवेदनशील एवं तकनीकी होता है, अतः गुणवत्ता के दृष्टिगत इस परियोजना में चयनित लाभार्थी के तालाब में इस कार्य को मत्स्य विभाग द्वारा इम्पैनल्ड वेंडर्स द्वारा ही कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. वेन्डर्स के इम्पैनलमेन्ट की कार्यवाही मत्स्य विभाग द्वारा सम्पादित की जायेगी एवं इम्पैनल्ड संस्थाओं की सूची चयनित लाभार्थियों के सहायतार्थ विभागीय बेवसाइट/पोर्टल https//:fisheries.up.gov.in पर अपलोड की जायेगी।
5. इम्पैनल्ड संस्था द्वारा वर्षभर में चयनित लाभार्थी के तालाब का न्यूनतम 04 निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा ।
6. इम्पैनल्ड संस्था द्वारा (62 रु० प्रति सीप की दर से कुल संचित सीप के सापेक्ष लाभार्थी से सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के पश्चात) इस आशय का प्रमाणपत्र लाभार्थी को दिया जायेगा कि संस्था ने सम्पूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया है एवं लाभार्थी इस प्रमाणपत्र को जनपदीय कार्यालय मे अन्य समस्त बिल-बौचर्स के साथ अनुदान प्राप्त करने से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा, जिसे जनपदीय कार्यालय से नियमानुसार एवं मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण होने पर ही सत्यापन उपरान्त अनुदान के भुगतान हेतु पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
7. कल्चर पीरियड में देखरेख की जिम्मेदारी लाभार्थी की स्वयं रहेगी तथा परियोजना पूर्ण करने के पश्चात लाभार्थी अपने चयनित तालाब के मोती उत्पादन की जानकारी विभागीय जनपदीय प्रभारी को उपलब्ध करायेगें एवं जनपदीय प्रभारी भी इस आशय का प्रमाणपत्र निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।

"उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु रु ० 300.00 लाख

प्रविधानित है। योजना की अनुमानित लागत निम्नानुसार है:-

2000 सीप प्रति यूनिट हेतु पूंजीगत लागत, परिचालन व्यय एवं शुद्ध लाभ

क्र0 सं0	मद	दर	धनराशि
1	सीप क्रय, न्यूकिल्यस क्रय, सर्जरी (उत्पादन लागत)	62	124000
2	आक्सोजन सेट/ऐरेयेटर क्रय/ब्लोवर क्रय	-	16000
3	फीड एवं टीम विजिट/मॉनिटरिंग	-	10000
	कुल परियोजना लागत		150000
5	कुल मोती उत्पादन	60 प्रतिशत उत्तर जीविता	2400
6	कुल बिक्री	100 प्रति मोती	240000
	अनुमानित शुद्ध लाभ		90000

5000 सीप प्रति यूनिट हेतु पूंजीगत लागत, परिचालन व्यय एवं शुद्ध लाभ

क्र0 सं0	मद	दर	धनराशि
1	सीप क्रय न्यूकिल्यस क्रय, सर्जरी (उत्पादन लागत)	62	310000
2	आक्सीजन सेट/ऐरियेटर क्रय/ब्लोवर क्रय	-	25000
3	फीड एवं टीम विजिट/मॉनिटरिंग	-	15000
	कुल परियोजना लागत		350000
5	कुल मोती उत्पादन	60 प्रतिशत उत्तर जीविता	6000
6	कुल बिक्री	100 प्रति मोती	600000
	अनुमानित शुद्ध लाभ		250000

15000 सीप प्रति यूनिट हेतु पूंजीगत लागत, परिचालन व्यय एवं शुद्ध लाभ

क्र0 सं0	मद	दर	धनराशि
1	सीप क्रय, न्यूकिल्यस क्रय, सर्जरी (उत्पादन लागत)	62	930000
2	आक्सीजन सेट/ऐरियेटर क्रय/ब्लोवर क्रय	-	35000
3	फीड एवं टीम विजिट/मॉनिटरिंग	-	35000
	कुल परियोजना लागत		1000000
5	कुल मोती उत्पादन	60 प्रतिशत उत्तर जीविता	18000
6	कुल बिक्री	100 प्रति मोती	1800000
	अनुमानित शुद्ध लाभ		800000

लाभार्थी चयन प्रक्रिया एवं मानदण्डः– "उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना" के क्रियान्वयन के लिये जिला स्तर पर लाभार्थी चयन एवं अनुमोदन, योजना के पर्यवेक्षण व निगरानी हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) का गठन निम्नवत् किया जायेगा -

1	मुख्य विकास अधिकारी	-	अध्यक्ष
2	मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	-	सदस्य
3	जिला अग्रणी बैंक, प्रबन्धक	-	सदस्य
4	प्रगतिशील मत्स्य पालक (मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित)	-	सदस्य
5	सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-	सदस्य/सचिव

लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी:-

1. लाभार्थियों का चयन उपरोक्तानुसार तालिका में वर्णित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेग।
2. इच्छुक लाभार्थियों के आवेदन विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त किये जायेंगे।
3. उक्त योजना खेत तालाब योजनान्तर्गत निर्मित तालाब, निजी भूमि में निर्मित तालाब जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.500 एकड़ से अधिकतम 01 एकड़ हो या ऐसे निजी तालाब जिनका क्षेत्रफल 01 एकड़ से अधिक हो, में संचालित की जायेगी।
4. चयनित लाभार्थी को परियोजना में एक ही बार कार्य पूर्ण होने पर अनुदान देय होगा।
5. लाभार्थियों के पारदर्शी चयन हेतु योजना का समुचित प्रचार-प्रसार करते हुये स्थानीय समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया आदि के माध्यम से करते हुये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे एवं चयनित लाभार्थियों की रैण्डमाइज सूची मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।
6. लाभार्थी चयन के समय लाभार्थी के मोती की खेती में अनुभव/प्रशिक्षण, उद्यमशीलता एवं ऐसे आवेदनकर्ता जिन्हे मोती पालन कार्य में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो, को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी। द्वतीय वरीयता क्रम में ऐसे लाभार्थियों का चयन किया जायेगा, जिन्हे मत्स्य पालन कार्य में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।
7. चयनित लाभार्थी को तालाब के क्षेत्रफल के अनुरूप ऐयरेटर/एयरब्लोवर क्रय करना आवश्यक होगा, जिस हेतु विद्युत कनेक्शन होना अनिवार्य है।
8. तालाब में मोती संवर्धन का कार्य प्रमुख रुप से किया जाना है। अतः चयनित तालाब में महुआ की खली, चूना या अन्य रसायन/दवाइयों का प्रयोग वर्जित होगा। इस प्रकार मोती संवर्धन के साथ-साथ बिना कीटनाशक के मछली पालन भी किया जा सकेगा।
9. आवेदनकर्ता को लाभार्थी अंश की धनराशि स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जायेगा।
10. चयनित लाभार्थी कम से कम 05 वर्ष तक आवेदित तालाब पर मोती पालन का कार्य करेगा। यदि लाभार्थी योजना संचालन के मध्य में मोती पालन का कार्य बन्द करता है तो उपलब्ध करायी गयी अनुदान की धनराशि की वसूली 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू-राजस्व की भांति की जायेगी, जिसके लिये लाभार्थी द्वारा स्वप्रमाणित अण्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगा।

11. चयनित लाभार्थी को कार्य की रिपोर्ट विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

भौतिक कार्य पूर्ति का मापदण्डः-

1. लाभार्थी चयन के उपरान्त स्थल का प्रारम्भिक सर्वेक्षण मत्स्य विभाग के जनपदीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावित स्थल के लिये जल की गुणवत्ता (PH तापमान) की जॉच एवं फीजिबिलटी रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
2. लाभार्थी द्वारा सम्पूर्ण योजना स्थापित होने के पश्चात कराये गये कार्य से सम्बन्धित बिल बाउचर्स, इम्पैनेल्ड संस्था द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध कराया गया कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र व साक्ष्य हेतु जियो टैग फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से (एकमुश्त) लाभार्थी के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।
3. योजना में अनुदान की धनराशि कार्योपरान्त (बैकएण्डेड) देय होगी।

योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवणः- योजना के मूल्यांकन हेतु मुख्यालय एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा तथा योजना के कार्यान्वयन का जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण भी किया जायेगा । योजना अवधि में महत्वपूर्ण घटकों का साक्ष्य जियोटैगिंग व वीडियोग्राफी के माध्यम से जनपद स्तर पर अभिलेखार्थ सुरक्षित रखा जायेगा।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 19-05-2026 16:57:03

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 23 /2026/870(1)/सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक /खाद्य एवं प्रसंस्करण/ राजस्व विभाग एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।

12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
उप सचिव।